

**नीलाम समिति की आख्या दिनांकित १०-०६-२०१९**

आज दिनांक १०.०६.२०१९ को नीलाम समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर ०१.३० बजे आहूत की गयी। बैठक में समिति के सदस्य श्री आबिद शमीम, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एस०सी०एस०टी० एक्ट) बागपत एवं श्री शोभित बंसल, सिविल जज जू०डि०-प्रथम, बागपत उपस्थित आये।


वित्त-पथ 2011 भण्डार का रखरखाव एवं निस्तारण के नियमों के अधीन माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन आदेशानुसार निष्प्रयोज्य समाग्री की नीलामी कराये जाने हेतु 02 जुलाई 2019 की तिथि नियत की जाती है। नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्तियों को 5000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट/नगद केन्द्रीय नजारत अनुभाग मे जमा कराना होगा।


सूची मे वर्णित समाना 01 ता 66 तक निष्प्रयोज्य समाग्री की नीलामी करने की नीलाम समिति द्वारा संस्तुति के आधार पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वार निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। किसी प्रकार की जानकारी हेतु केन्द्रीय नजारत अनुभाग मे किसी कार्य दिवस मे जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


"जनपद न्यायालय बागपत मे टूटे फर्नीचर इत्यादि उपकरण की नीलामी जहां है और जिस अवस्था में है, के आधार पर होनी है। नीलामी हेतु बोली खुली अवस्था मे लगायी जायेगी। नीलामी की बोली नीलाम समिति के समक्ष दिनांक 02.07.2019 को सभागार कक्ष १-३० बजे मे लगाई जायेगी। बोली छुटने के बाद अन्तिम बोलीदाता को नीलामी समस्त धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी। और सभी समान दो कार्य दिवस मे उठाना होगा माल-भाडा, चुंगी इत्यादि सभी देयता यदि किसी प्रकार का है तो अन्तिम बोलीदाता की होगी। यदि किसी भी दशा मे बोली के बाद समान नही उठाये तो जमा धनराशि उ०प्र० राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगा.,

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वे नीलामी की सूचना किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन एवं सभी नोटिस बोर्ड पर पम्पलेट चस्पा करायें।

आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
शोभित बंसल,

  
आबिद शमीम

  
अवध बिहारी सिंह


सदस्य नीलाम/क्रय समिति /  
सिविल जज जू०डि० प्रथम  
बागपत

सदस्य नीलाम/क्रय समिति /  
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र,  
न्यायाधीश एस०सी०एस०टी० एक्ट  
बागपत

अध्यक्ष नीलाम/क्रय समिति/  
प्रधान न्यायाधीश परिवार  
न्यायालय बागपत

**प्रतिलिपि :- निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु**

1. जनपद न्यायाधीश, बागपत।
2. जिलाधिकारी, बागपत।
3. नगर निगम, बागपत।
4. तहसील, बागपत, बडौत एवं खेकडा।
5. दैनिक समाचार-पत्र, मे नि: शुल्क प्रकाशनार्थ।
6. कम्प्यूटर विभाग, जनपद न्यायालय, बागपत को जनपद न्यायालय, बागपत एवं महानिबन्धक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
अवध बिहारी सिंह 10/6/19

अध्यक्ष नीलाम/क्रय समिति/  
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय,  
बागपत

Approved.  
10-6-19  
District Judge  
Bagpat